रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-73 REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 151] नई दिल्ली, सोमवार, मई 7, 1984/वैसाख 17, 1906
No. 151] NEW DELHI, MONDAY, MAY 7, 1984/VAISAKHA 17, 1906

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 7 मई, 1984

अधिसूचना

सं. 122/84-सी.शु.

सा. का. नि. 328(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 278/82-सीमाशुल्क, तारीख 16 दिसम्बर, 1982 को अधिक्रांत करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की दूसरी अनुसूची के शीर्ष सं. 1 के अन्तर्गत आने वाली काफी

को, जब उसका भारत से बाहर निर्यात किया जाए, उक्त दूसरी अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो 640 रु. प्रति क्विंटल से अधिक है ।

[फा. सं. 347/4/83-टी आर यू]
के. एस. वेंकटगिरि, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 1984

No. 122|84-CUSTOMS

G.S.R. 328(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 278|82-Customs, dated the 16th December, 1982, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts coffee, falling under Heading No. 1 of the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when exported out of India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule as is in excess of Rs. 640 per quintal.

[F. No. 347|4|83-TRU]
K. S. VENKATAGIRI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984